प्रेस विज्ञप्ति

13.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ द्वारा शुरू की गई पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को 611 करोड़ रुपये)लगभग( )संपत्तियों की कुर्की के समय कीमत(की संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जब्त संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

मई 2025 में, ईडी ने हैदराबाद के माननीय मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(8) के तहत पुनर्स्थापन आवेदन दायर किया, ताकि अपराध जांच विभाग (सीआईडी), आंध्र प्रदेश द्वारा कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों को रिलीज किया जा सके [जहां तक ऐसी संपत्तियां एपी सीआईडी द्वारा भी कुर्क की गई थीं] ताकि ऐसी कुर्क संपत्तियों को आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण (एपीपीडीएफई) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत एग्री गोल्ड पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को वापस किया जा सके।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.06.2025 के आदेश के माध्यम से ईडी द्वारा दायर की गई प्रतिपूर्ति याचिका को अनुमति दे दी है, जिससे पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिन कुर्क संपत्तियों के लिए माननीय न्यायालय ने प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है, उनमें कृषि भूमि, आवासीय/वाणिज्यिक भूखंड और अपार्टमेंट के 397 पार्सल शामिल हैं। कुल 397 कुर्क की गई अचल संपत्तियों में से 380 आंध्र प्रदेश, 13 तेलंगाना और 4 कर्नाटक में हैं।

ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर 2018 में मेसर्स एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच शुरू की थी। एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उच्च रिटर्न या आवासीय प्लॉट का वादा करके रियल एस्टेट निवेश के नाम पर करीब 19 लाख ग्राहकों और 32 लाख खाताधारकों से जमा राशि एकत्र की थी।

ईडी की जांच में पता चला है कि एग्री गोल्ड ग्रुप ने रियल एस्टेट कारोबार की आड़ में फर्जी सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसके लिए 130 से ज़्यादा कंपनियाँ बनाई गईं। ये कंपनियाँ जमाकर्ताओं से 'प्लॉट के लिए एडवांस' के तौर पर जमाराशि वसूलती थीं, जबकि कंपनी के पास उचित ज़मीन उपलब्ध नहीं थी।

इस व्यवसाय मॉड्यूल का पालन करके, आरोपियों ने लाखों भोले-भाले लोगों को लालच दिया और उनसे जमा राशि प्राप्त की। इसके बाद इन निधियों को जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना बिजली/ऊर्जा, डेयरी, मनोरंजन, स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक), कृषि भूमि उपक्रम आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में लगा दिया गया और कंपनियों ने तय किए अनुसार नकद या वस्तु के रूप में जमा राशि वापस करने में चूक

एग्री गोल्ड समूह ने लोगों को लुभाने के लिए हजारों कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया था और वे 32 लाख से अधिक निवेशकों के खातों से लगभग 6380 करोड़ रुपये एकत्र करने में सफल रहे।

पीएमएलए जांच के दौरान, ईडी द्वारा विभिन्न राज्यों में फैली लगभग 4141.2 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गईं। ईडी ने दिसंबर 2020 में अव्वा वेंकट रामा राव, अव्वा वेंकट शेषु नारायण राव और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था और फरवरी 2021 में 14 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान दिनांक 29.08.2023 को लिया गया। तत्पश्चात, 22 आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 28.03.2024 को पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को इसका संज्ञान लिया गया।

वर्तमान मामले में, ईडी ने पहले फरवरी महीने 2025 में 3339 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 6000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्तियां पुनर्स्थापित की थीं। इस मामले में पुनर्स्थापित संपत्तियों का कुल मूल्य अब 3950 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 7000 करोड़ रुपये से अधिक) है।

यह प्रतिपूर्ति प्रक्रिया ईडी के उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत वह संपत्तियों को उनके वास्तविक दावेदारों को लौटाने का प्रयास करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि अपराध से प्राप्त धन प्रभावित व्यक्तियों को वापस लौटाया जाए।

****